मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1361
27 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए
पी.एम.ए.वाई.यू. के अंतर्गत पक्के आवास

1361. श्री रोड़मल नागर:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू की जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को वर्ष 2023 के बाद भी जारी रखने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत शेष आवासों, जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं के निर्माण के लिए उक्त योजना की तीसरी किस्त/चरण की घोषणा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने आवास पूरे हो चुके हैं और तीसरी किस्त/चरण के अंतर्गत कितने आवासों के शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं वाला 'पक्का' आवास प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 'सभी के लिए आवास' मिशन के तहत केन्द्रीय सहायता प्रदान करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है। पीएमएवाई-यू में 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों और अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्रों सहित बाद में अधिसूचित कस्बों को शामिल किया गया है। दिनांक 10.07.2023 की स्थिति के अनुसार, पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत 118.90 लाख आवासों में से 112.22 लाख आवास निर्माणाधीन हैं; जिनमें से 75.31 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और लाभार्थियों को सुपुर्द कर दिया गया है।

पीएमएवाई-यू दिशानिर्देशों के अनुसार, बीएलसी/एएचपी/आईएसएसआर घटकों के तहत, अनिवार्य अनुपालन पूरा होने पर केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 40%, 40% और 20% की 3 किस्तों में जारी की जाती है। इसलिए, केंद्रीय सहायता का 80% राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आवासों/परियोजनाओं के पूरा होने से पहले जारी किया जाता है और 20% पूरा हो जाने पर जारी किया जाता है। बीएलसी घटक के तहत, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र किसी परियोजना में सभी आवासों के पूरा होने के बजाय 70% आवासों के पूरा होने पर केंद्रीय सहायता की तीसरी किस्त का दावा कर सकते हैं। तेजी से आगे बढ़ने वाली परियोजनाओं के लिए निधि जारी करने को प्राथमिकता देने के लिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को योजना दिशानिर्देशों के पैरा 14.7 के अनुसार छूट प्रदान की गई है।

योजना की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने के लिए, सीएलएसएस घटक को छोड़कर, 31.12.2024 तक बढ़ा दी गई है।

*****

.